(15)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

65AA 014413

यह स्टाम्प 10/- नकल नम्बर 520 वर्ष 2009 पर संलग्न है।

पढ़ा—सुना—स.र. II

<u>न्यायालय तहसीलदार सदर कानपुर नगर</u>

वाद सं0 977/08-09

महावीर स0आ0स0 बनाम बाबूराम आदि

धारा-34/35 एल0आर0 एक्ट

मौजा-बैरी अकबरपुर कछार कानपुर नगर।

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी द्वारा पंजीकृत बैनामा के आधार पर प्रस्तुत करते हुए विक्रीत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित किए जाने की प्रार्थना की है।

नियमानुसार इश्तहार जारी किए गए जो वाद तामीली शामिल पत्रावली है। किसी ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में मूल बैनामा, नकल उद्धरण खतौनी व शपथपत्र, दाखिल किए गए। मौखिक साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल ने बयान करते हुये कथन किया है कि विक्रीत भूमि पर क्रेता का ही कब्जा व दखल है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रीत भूमि के0डी0ए0 आदि की नहीं है।

मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य को पढ़ा। पत्रावली पर दाखिल पंजीकृत बैनामा से आराजी निजाई का प्रार्थी के हक में विक्रय किया जाना एवं विक्रीत भूमि पर क्रेता का ही कब्जा व दखल सिद्ध है। अतएव वादी का नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः आदेश हुआ कि ग्राम बैरी अकबरपुर कछार की खाता खतौनी 1410 फ0 लगायत 1414 फ0 खातासं0 147 आ0सं0 1084 रकबा 0.051हे0 मालगुजारी 60रु0 पर विक्रेता बाबूराम व राजकुमार व रामकुमार पुत्रगण दीक्षा निवासीगण ग्राम रूपपुर कानपुर नगर का नाम पृथक करके पंजीकृत बैनामा दि0 18-11-06 के आधार पर क्रेता महावीर सहकारी आवास समिति लि0 कानपुर नगर द्वारा सचिव ए0के0 जैन पुत्र जे0के0 जैन निवासी 73 आर0एस0पुरम् काकादेव कानपुर नगर का नाम बतौर सहकृषक/संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात किया जावे। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक :- 18/5/09

तहसीलदार (सदर)

कानपुर नगर

(15)

4215

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.   Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Subodh Kumar Trivedi Advocate

।। श्रीगणेशायनमः ।।

हम कि बाबूराम व राज कुमार व राम कुमार वयरफ

पुत्रगण टीका निवासीगण ग्राम रूपपुर, परगना व तहसील

व जिला कानपुर नगर के हैं।

विदित हो कि हम मुकिर आराजी भूमिधरी नम्बर

१०८४ रकबा ०.०५९ हे० स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार

बाबूराम राजकुमार
बाबूराम रामकुमार

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

भारत

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE TH

(२)

परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर के तहत मालिक, काबिज दखील सम्पत्ति भूमिधर काश्तकारान है, कब्जा भी हम मुकिरान का है तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी है। हम मुकिरान के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार या भागीदार नहीं है। जायदाद मजकूर आज दिन तक जुमला बार किफालत से बरी पाक व साफ है, कहीं रहन, बय, हिबा, मुआहिदा, जमानत आदि नहीं है, तथा किसी डिग्री व इजराये डिग्री में कुर्क अथवा बराये नीलाम नहीं है, तथा किसी न्यायालय या अधिकारी सरकारी द्वारा निषेधादि करने हेतु रोका नहीं गया है। चूँकि

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

Rs 1000   Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(3)

जायदाद उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है तथा हम मुकिरान को जायदाद उपरोक्त को बजरिये बयनामा विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कामिल हासिल है। चूँकि हम मुकिरान को अपनी [illegible] व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपयों की सख्त आवश्यकता दरपेश है। लिहाजा हम मुकिरान ने उक्त जायदाद को बेचना उचित समझकर बेचने की बाबत इधर उधर बातचीत की तो गुफ्तगू बय पर मिल मुबलिग 30,000/- तीसहजार रुपया में महावीर सहकारी आवास समिति लि० रजिस्ट्रेशन संख्या ६६६।८२ कार्यालय ६३।२ सिटी सेन्टर मालरोड शहर कानपुर द्वारा सचिव श्री म० के० जैन

बाबूराम राजकुमार राजकुमार

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

Rs. 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(४)

पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी ७३ बा१० एम० पुरम, काकादेव,

कानपुर नगर जरिये [illegible] हैं, [illegible]

पुनः लिखवा दिया है, आबादी भाग से कम नहीं है। जिसका कब्जा

देकर जात व सवाल बनेन बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दाब

नाजायज के मयमुला हक हकूक दाखिली व खारिजी हाल व आइन्दा

बिना छोड़े हुए किसी चीज के बिल एवज मुबलिग ३०,०००/-

तीस हजार रुपया जिसके आधे मुबलिग १५,०००/- पन्द्रह हजार

रुपया जिसका निस्फ [illegible] होते हैं, बदला महावीर

सहकारी आवास समिति लि० रजिस्ट्रेशन संख्या ६६६। पर मुख्य

कार्यालय ६३१२ सिटी सेन्टर माल रोड शहर कानपुर द्वारा सचिव

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

300Rs. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(५)

श्री ए० के० जैन पुत्र श्री जे०के०जैन नि० ७३ आर०एन०पुरम काकादेव शहर कानपुर के हक में कर दिया यानी बेच डाला तथा कुल कीमत मिन मुकिरान ने उक्त खरीदार समिति से निम्न-विवरणानुसार नकद वसूल पा लिया है। निस्बत जर समन उक्त एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार के शेष नहीं रहा। हम मुकिरान ने निस्बत अपने आज की तारीख से जायदाद मुबैया उपरोक्त पर कब्जा दखल मालिकाना व वाकई मौके पर खरीदार समिति का करा दिया तथा दाखिल,खारिज करा दिया, खरीदार समिति जिस प्रकार से चाहे जायदाद मुबैया उपरोक्त को अपने सीगत व प्रयोग में लावे।हमें मुकिरान तथा दिगर मुकिरान को कोई उज्र व एतराजन होगा। खरीदारान को चाहिए कि वह अपना नाम

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs.500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(६)

कागजात सरकारी में नामवा मिलकियत दर्ज करा लेवें, आ इन्द

पड़ने पर मुकिरान अपनी हाजिरी या अपनी रजामन्दी वगैरा

मुलाहजा होगी पेश कर देवेंगे जो यह दस्तावेज ही काफी

है। यदि जायदाद मुबैया उक्त का कुल या कुछ भाग कब्जा व

दखल मुकिरान के पहले या बाद के या गुजस्ता मिल्कियत वादि

की वजह से खरीदार के कब्जा दखल से निकल जावें या खरीदार

को जायदाद मुबैया उक्त की निस्बत आज दिन तक की बाबत

कुछ भी देना या खर्च करना पड़े तो उसकी सारी जिम्मेदारी

मुकिरान व वारिसान मुकिरान की होगी, और खरीदार को

अधिकार होगा कि वह अपना कुल जर मय खर्चा हर्जा

के मुकिरान की दीगर जात खास जायदाद मनकूला व गैरमनकूला

से जिस प्रकार से चाहे प्राप्त करके वसूल पा लेवे। इसी

50 Rs.

पचास रुपये

भारत INDIA

५० रु. 50 RS

FIFTY RUPEES

(७)

फरीकैन व वारिसान फरीकैन को कोई उज्र व एतराज न होगा। बसूरत दीगर दस्तावेजात की पाबन्दी फरीकैन व वारिसान फरीकैन पर लाजिम व वाजिब होगी।

लिहाजा बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दबाव नाजायज स्वस्थ मन बुद्धि चित्त व इन्द्रियों की दशा में यह चन्द कलमात बतौर बयनामा के तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आवे।

विवरण जायदाद मुबैया

आराजी भूमिधरी नम्बरी १०८४ एक हजार चौरासी रकबा ०.०५१ हे० शून्य दशमलव शून्य पाँच एक हे० [illegible] मौजे अकबरपुर कटार परगना व तहसील व जिला कानपुरनगर विक्रय किया गया है।

स्टाम्प डियूटी सरकारी निर्देशानुसार मुबलिग ३८,०००/- रुपया पर मुबलिग ५५५०/- रुपया की अदा कीगयी है। उपरोक्त भूमि कृषि भूमि है सेंचित होती है। खरीदार समिति इस मुकिरान की आराजी नम्बर १०६३ रकबा ०.५१२ हे० को पहले ही बजरिये बयनामा खरीद चुकी है। तथा विक्रेता व क्रेता की मेड़ से मेड़ मिली हुयी है। विक्रेता अनुसूचितजाति एवं जनजाति का नहीं है, कच्छा कल्यानपुर जोन नम्बर -२ है।

चौहद्दी-

पूरब- आराजी नम्बर १०८२ खरीदार समिति

पश्चिम- आराजी समिति कीघर,

उत्तर- आराजी खरीदार समिति

दक्षिण- आराजी नम्बर १०८५ खरीदारसमिति

तफसील बहुलयाबी जरे समन मुबलिग ३०,०००/- तीस हजार रुपया।

मुबलिग ३०,०००/- तीस हजार रुपया कब्ज सहीर दस्तावेजबयनामा हाजा के मुकिरान ने उक्त खरीदार समिति से

नकद वसूल पा लिया है। निस्बत मेरे रकम अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रहा।

तहरीर तारीख- २०-८-१९९६ ई०

गवाह१-

गवाह-२

टाइपकर्ता-

राजेशकुमार सिंह,
ला०नं० ८३ कोर्ट कानपुर

Subodh Kumar Trivedi
ADVOCATE

न्यायालय तहसीलदार
वाद संख्या 9771/8-9
आदेश दि. 18-5-9
वापसी दि. 28-5-9

पाँच ह

प्रदेश UTTA

143

18/11/06

18-11-06

3441

4215

192
204

दि. 8-4-09